उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–53/2018–19

सिया कुजुर उर्फ सिमा कुजुर एवं अन्य

बनाम्

केशो कुजुर

–: आदेश :–

दिनांक	
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सिया कुजुर उर्फ सिमा कुजुर, पे0–स्व0 सुका उराँव वो मुकेश कुजुर, पे0–स्व0 भुवनेश्वर कुजुर वो जगरनाथ कुजुर वो पांचू कुजुर, पे0–स्व0 सुकल कुजुर सभी साकिनान –सौरीचकला, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–21/2018–19 आदेश दिनांक–10.12.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सौरीचकला नं0–317, जमाबंदी सं0–12 की जमीन जमाबंदी रैयत काली उराँव वो सकलू उराँव, पे0–दुलार उराँव वो मानगक उराँव वो महादेव उराँव वो भदु उराँव, पे0–दुर्गा उराँव वो टोकावा उराँव वो सुकना उराँव वो राम उराँव, पे0–रामू उराँव वो सोकी उराँव वो दुलार उराँव वो बीरू उराँव, पे0–स्वाता उराँव वो कोलाय उराँव, पे0–आईचा उराँव वो परसू उराँव वो महावीर उराँव, पे0–बुनियाद उराँव एवं मौजा–दासुचकला नं0–318, जमाबंदी सं0–06 की जमीन जमाबंदी रैयत कलाय धांगड़, पे0–अच्छा धांगड़ वो टीकवा धांगड़ वो सुकना धांगड़, पे0–रामू धांगड़ वो सोखी धांगड़ वो दुला धांगड़ वो बेरवा धांगड़, पे0–काता धांगड़ तथा मौजा–पीपरा जमाबंदी सं0–22 की जमीन परसु उराँव वो महावीर उराँव, पे0–बुनियाद उराँव वो कोलाय उराँव, पे0–आइचू उराँव वो रामा उराँव, पे0–रामू उराँव वो सोकजी उराँव वो दुलार उराँव वो वीरू उराँव, पे0–खेतर उराँव वो काली उराँव वो सकलू उराँव, पे0–दुलार उराँव वो मंगरा उराँव, पे0–महादेव उराँव वो भूद उराँव, पे0–दुर्गा उराँव के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी जमाबंदी रैयत करमा उराँव के वंशज है एवं अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत सौखी उराँव के वंशज है। जमाबंदी रैयत सौखी उराँव के वंशज होने के कारण

अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति नहीं है। हाल तसदीक सर्वे में भी उत्तरवादी एवं अन्य हिस्सेदारों के साथ अपीलकर्त्ता का भी नाम दर्ज किया गया है एवं उत्तरवादी की ओर से अपील वाद जमीन से अपीलकर्त्ता का नाम विलोपित करने के लिए बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में अपील वाद सं0–1530/17 एवं 421/16 दायर किया गया था। लेकिन बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका ने उत्तरवादी के आपत्ति आवेदन को खारिज कर दिया है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी की ओर से कोई भी अपील या रिविजन वाद दायर नहीं किया है। चूँकि अपील वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का स्वत्व एवं दखल है एवं स्वत्व निर्धारण करने का शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–21/18–19 में दिनांक–10.12.2018 के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सौरी चकला नं0–317, जमाबंदी सं0–12 रकवा 99–15–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में काली उराँव वो भगनू उराँव वो महादेव उराँव वो सौखी उराँव, पे0–दुर्गा उराँव वो टेकुवा उराँव वो सुकाना उराँव वो रामू उराँव, पे0–रामू उराँव वो सौखी उराँव वो दुलार उराँव वो बीरू उराँव, पे0–स्वेता उराँव वो कोल्हाय उराँव, पे0–अयंचू उराँव वो परशू उराँव वो महेश उराँव, पे0–बुनियाद उराँव के नाम से दर्ज है। उसी प्रकार मौजा–पीपरा नं0–316, जमाबंदी सं0–22 की जमीन भी इन्हीं जमाबंदी रैयत के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी जमाबंदी रैयत सुखाना उराँव के वंशज है। जमाबंदी रैयतों में से जमाबंदी रैयत रामा उराँव की मृत्यु नावल्द होने के कारण उनके हिस्से की जमीन बाकी दो जमाबंदी रैयत टिकुना उराँव एवं सुखाना उराँव को प्राप्त हुआ। उनका आगे कथन है कि मौजा–दासुचकला नं0–318, जमाबंदी सं0–06 रकवा 06–00–09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कोल्हाय धांगड़, पे0–अयंचू धांगड़ वो टेकुवा धांगड़ वो सुखाना धांगड़, पे0–रामू धांगड़ वो सौखी धांगड़ वो दुले धांगड़ वो बिन्दा धांगड़, पे0–खाता धांगड़ के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत कोल्हाय उराँव को दो पुत्री चरिया देवी एवं सम्पतिया देवी था, जिनकी मृत्यु नावल्द हो गयी है। चूँकि जमाबंदी रैयत कोल्हाय उराँव का नाम जमाबंदी रैयत सुखना उराँव के साथ दर्ज था। इसलिए

जमाबंदी रैयत कोल्हाय उराँव के नावल्द होने के बाद उनके हिस्से की जमीन टुकना उराँव एवं सुखना उराँव को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जमाबंदी रैयत टुकना उराँव को दो पुत्री सुकरी देवी एवं फते देवी की भी मृत्यु नावल्द हो गयी। जमाबंदी रैयत रामा उराँव की भी मृत्यु नावल्द हो गयी। इसलिए तीनों मौजा के जमीन सुखना उराँव को हस्तान्तरित हुआ। उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का कोई हक और अधिकार नहीं है। उनलोगों के द्वारा जबरन उक्त जमीन का जोत आबाद किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में अपीलकर्त्तागण की ओर से कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया था। इसलिए अपीलकर्त्तागण को निम्न न्यायालय के द्वारा उच्छेद किया गया है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–119/रा0 दिनांक–12.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–सौरी चकला नं0–317, जमाबंदी सं0–12 खतियानी रैयत काली उराँव वो शकलू उराँव, पे0–दुलार उराँव वो मगरा उराँव वो महादेव उराँव वो भदु उराँव, पे0–दुरगा उराँव वो टोकेआ उराँव वो सुखना उराँव वो रामा उराँव, पे0–रामु उराँव वो शौखी उराँव वो दुलार उराँव वो वीरू उराँव, पे0–खाता उराँव वो कोल्हाई उराँव वल्द अैचू उराँव वो परभू उराँव वो महावीर उराँव, पे0–वुनीआद उराँव कौम धागड़ शा0 देह, मौजा–पीपरा नं0–316, जमाबंदी सं0–22 रकवा 67–11–05 धुर जमीन खतियानी रैयत परभु उराँव वो महावीर उराँव, पे0–वुनीआद उराँव वो कोलहाई उराँव वल्द अैचू उराँव वो टोकेआ उराँव वो सुखना उराँव वो रामा उराँव, पे0–रामु उराँव वो शौखी उराँव वो दुला उराँव वो वीरवा उराँव, पे0–खाता उराँव वो काली उराँव वो शकलू उराँव, पे0–दुलार उराँव वो मगरा उराँव वो महादेव उराँव वो भदु उराँव, पे0–दुरगा उराँव कौम–धागड़ शा0 सौरीचकला एवं मौजा–दासुचकला नं0–318, जमाबंदी सं0–06 रकवा 06–00–09 धुर जमीन खतियानी रैयत कोल्हाई धांगड़ वल्द अैचू धांगड़ वो टोकेआ धांगड़ वो सुखना धांगड़, पे0–रामु धांगड़ वो शौखी धांगड़ वो दुला धांगड़ वो वीरवा धांगड़, पे0–खाता धांगड़ कौम–धांगड़ शा0 सौरीचकला के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। जाँच के क्रम में पाया कि दोनों पक्ष उपरोक्त तीनों जमाबंदी के वारिशान

है एवं अपने–अपने दखल भूमि पर कायम है। खतियानी रैयत कोल्हाई उराँव/धांगड़ के दो पुत्री क्रमशः चरिया देवी एवं सम्पतिया देवी थी, जो निःसन्तान मृत हो गई है। कोल्हाई उराँव/धांगड़ के कोई वारिशान नहीं होने के कारण दोनों पक्षों में उक्त जमीन को लेकर विवाद है। उक्त तीनों मौजा की कुल विवादित भूमि 17–16–03 धुर, जो खतियानी रैयत कोल्हाई उराँव/धांगड़ के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि पर सिया कुजुर, पिता–स्व0 सुका कुजुर, मुकेश कुजुर, पिता–स्व0 भुवनेश्वर कुजुर, जगरनाथ कुजुर, पिता–स्व0 सुका कुजुर एवं पाँचू कुजुर, पिता–स्व0 सुका कुजुर का दखल कब्जा है। जाँच के क्रम में सिया कुजुर द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के अवलोकन करने पर पाया कि कोल्हाई उराँव की मृत्यु 13.10.1951 को हो गई थी। कोल्हाई उराँव अपने जीवन काल में ही अपने हिस्से की जमीन अपना सेवा करने के लिए अपने गोतिया भाई शौखी उराँव, दुलार उराँव, पे0–खाता उराँव को पंचनामा दानपत्र के माध्यम से दिया गया, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा, जिला संताल परगना, दुमका के मिस पिटीशन केश नं0–182/45–45 दिनांक–15.09.1945 के द्वारा उक्त बँटवारानामा को स्वीकृत किया गया है। स्थल जाँच के क्रम में पाया कि मौजा–सौरीचकला दाग नं0–251 जो कि कोल्हाई उराँव वगैरह के नाम से है, जिसपर सिया कुजुर एवं विपक्षी केशो कुजुर का घर बना हुआ है। जबकि दाग नं0–252 जो शौखी उराँव वो वीरू उराँव वो दुला उराँव के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर भी विपक्षी केशो कुजुर का घर बना हुआ है। वर्तमान में अन्य सभी विवादित प्लॉट परती पड़ा हुआ है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सौरी चकला नं0–317, जमाबंदी सं0–12 रकवा 99–15–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में खतियानी रैयत काली उराँव वो शकलू उराँव, पे0–दुलार उराँव वो मंगरू उराँव वो महादेव उराँव वो भदु उराँव, पे0–दुरगा उराँव वो दोमेआ उराँव वो सुखना उराँव वो रामा उराँव, पे0–रामू उराँव वो सोखी उराँव वो दुलार उराँव वो वीरू उराँव, पे0–खाता उराँव वो कोल्हाई उराँव वल्द अैचू उराँव वो परभू उराँव वो महावीर उराँव, पे0–वुनीआद उराँव कौम धागड़ शा0 देह, मौजा–पीपरा नं0–316, जमाबंदी सं0–22 रकवा 67–11–05 धुर जमीन खतियानी रैयत परभु उराँव वो महावीर उराँव, पे0–वुनीआद उराँव वो कोलहाई उराँव वल्द अैचू उराँव वो टोकेआ उराँव वो सुखना उराँव वो

रामा उराँव, पे0—रामु उराँव वो शौखी उराँव वो दुला उराँव वो वीरवा उराँव, पे0—खाता उराँव वो काली उराँव वो शकलू उराँव, पे0—दुलार उराँव वो मगरा उराँव वो महादेव उराँव वो भदु उराँव, पे0—दुरगा उराँव कौम—धागड़ शा0 सौरीचकला एवं मौजा—दासुचकला नं0—318, जमाबंदी सं0—06 रकवा 06—00—09 धुर जमीन खतियानी रैयत कोल्हाई धांगड़ वल्द अैचू धांगड़ वो टोकेआ धांगड़ वो सुखना धांगड़, पे0—रामु धांगड़ वो शौखी धांगड़ वो दुला धांगड़ वो वीरवा धांगड़, पे0—खाता धांगड़ कौम—धांगड़ शा0 सौरीचकला के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। दोनों पक्ष के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत के जमाबंदी रैयत के वंशज के आधार पर दावा किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने गत जमाबंदी रैयत सौखी उराँव के वंशज के आधार पर दावा किया गया है एवं उत्तरवादी के द्वारा गत जमाबंदी रैयत सुखना उराँव के वंशज के आधार पर दावा किया गया है। लेकिन अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत कोल्हाय उराँव के कोई वारिश नहीं होने के कारण दोनों पक्ष में विवाद है। चूँकि अपीलकर्त्तागण उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत के जमाबंदी रैयत के वारिशान है। इसमें संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0—21/18—19 में दिनांक—10.12. 2018 के आदेश को निरस्त करते हुए अभिलेख पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:30:54 +05:30
Location: 192.168.1.50